



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244587
CG-DL-E-22032023-244587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1317]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945

No. 1317]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

का.आ. 1370(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में (सोमयाजुलापल्ली-दून रोड) राष्ट्रीय राजमार्ग सं 340बी के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 5.00 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवन्यू डिविजनल आफिसर करनूल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में (सोमयाजुलापल्ली -दून रोड) राष्ट्रीय राजमार्ग सं 340बी के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 5.00 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: करनूल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: ओरवाकल					
गांव का नाम: कोमारोलु					
1	155/F	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.6543910(हेक्टेयर)	0.6543910
2	155G/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.1861600(हेक्टेयर)	0.1861600
3	188/B	सरकारी(इनाम)	एंडोमेंट लैंड्स	0.4613520(हेक्टेयर)	0.4613520
4	188/C1	सरकारी	एंडोमेंट लैंड्स	0.1327400(हेक्टेयर)	0.1327400
5	259/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0008094(हेक्टेयर)	0.0008094
6	280/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0263051(हेक्टेयर)	0.0263051
7	282/1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0076892(हेक्टेयर)	0.0076892
8	292/1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0250910(हेक्टेयर)	0.0250910
9	293/A1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0679887(हेक्टेयर)	0.0679887
10	295/2	सरकारी(इनाम)	एंडोमेंट लैंड्स	0.1485230(हेक्टेयर)	0.1485230
11	297B/2	सरकारी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0020235(हेक्टेयर)	0.0020235
12	307A/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0072845(हेक्टेयर)	0.0072845
13	313A/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0360178(हेक्टेयर)	0.0360178
14	316B/1	सरकारी	रस्ता	0.0445164(हेक्टेयर)	0.0445164
15	317/2	सरकारी(इनाम)	एंडोमेंट लैंड्स	0.1044110(हेक्टेयर)	0.1044110
16	319A/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0728450(हेक्टेयर)	0.0728450
17	319B/1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.1064350(हेक्टेयर)	0.1064350
18	321/1	सरकारी(इनाम)	एंडोमेंट लैंड्स	0.0437070(हेक्टेयर)	0.0437070

19	322/1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0837718(हेक्टेयर)	0.0837718
20	323B/1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0574667(हेक्टेयर)	0.0574667
21	325/C	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0607042(हेक्टेयर)	0.0607042
22	325A/2	सरकारी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0121409(हेक्टेयर)	0.0121409
23	325B/1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0886281(हेक्टेयर)	0.0886281
24	345A/1	सरकारी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0137596(हेक्टेयर)	0.0137596
25	348/2	सरकारी	कुंटा	0.2723590(हेक्टेयर)	0.2723590
गांव का नाम: सोमयाजुलापल्ली					
1	119/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0072845(हेक्टेयर)	0.0072845
2	120/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0716309(हेक्टेयर)	0.0716309
3	121/2	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0182113(हेक्टेयर)	0.0182113
4	161/1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.0169972(हेक्टेयर)	0.0169972
कुल				2.8312	2.8312

[फा. सं. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

S.O. 1370(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 340B in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 5.00 (Somayajulapalli - Dhone Road) in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Revenue Divisional Officer, Kurnool in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 5.00 (Somayajulapalli - Dhone Road) of National Highway No.340B in the district of Kurnool in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: KURNOOL		
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Orvakal					
Village: Komarolu					
1	155/F	Private	Dry Agriculture	0.6543910(Hectare)	0.6543910
2	155G/2	Private	Dry Agriculture	0.1861600(Hectare)	0.1861600
3	188/B	Government(Inam)	Endowment Land	0.4613520(Hectare)	0.4613520
4	188/C1	Government	Endowment Land	0.1327400(Hectare)	0.1327400
5	259/2	Private	Dry Agriculture	0.0008094(Hectare)	0.0008094
6	280/2	Private	Dry Agriculture	0.0263051(Hectare)	0.0263051
7	282/1	Private	Dry Agriculture	0.0076892(Hectare)	0.0076892
8	292/1	Private	Dry Agriculture	0.0250910(Hectare)	0.0250910
9	293/A1	Private	Dry Agriculture	0.0679887(Hectare)	0.0679887
10	295/2	Government(Inam)	Endowment Land	0.1485230(Hectare)	0.1485230
11	297B/2	Government	Dry Agriculture	0.0020235(Hectare)	0.0020235
12	307A/2	Private	Dry Agriculture	0.0072845(Hectare)	0.0072845
13	313A/2	Private	Dry Agriculture	0.0360178(Hectare)	0.0360178
14	316B/1	Government	Rasta	0.0445164(Hectare)	0.0445164
15	317/2	Government(Inam)	Endowment Land	0.1044110(Hectare)	0.1044110
16	319A/2	Private	Dry Agriculture	0.0728450(Hectare)	0.0728450
17	319B/1	Private	Dry Agriculture	0.1064350(Hectare)	0.1064350
18	321/1	Government(Inam)	Endowment Land	0.0437070(Hectare)	0.0437070
19	322/1	Private	Dry Agriculture	0.0837718(Hectare)	0.0837718
20	323B/1	Private	Dry Agriculture	0.0574667(Hectare)	0.0574667
21	325/C	Private	Dry Agriculture	0.0607042(Hectare)	0.0607042
22	325A/2	Government	Dry Agriculture	0.0121409(Hectare)	0.0121409
23	325B/1	Private	Dry Agriculture	0.0886281(Hectare)	0.0886281

24	345A/1	Government	Dry Agriculture	0.0137596(Hectare)	0.0137596
25	348/2	Government	Kunta	0.2723590(Hectare)	0.2723590
Village: Somayajulapalli					
1	119/2	Private	Dry Agriculture	0.0072845(Hectare)	0.0072845
2	120/2	Private	Dry Agriculture	0.0716309(Hectare)	0.0716309
3	121/2	Private	Dry Agriculture	0.0182113(Hectare)	0.0182113
4	161/1	Private	Dry Agriculture	0.0169972(Hectare)	0.0169972
Total				2.8312	2.8312

[F. No. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.